उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2

संख्या-19/2022/153प्र0स0/92-2-2022-23जांच/2017

लखनऊ: दिनांक 03 अगस्त 2022

कार्यालय ज्ञाप

प्रखण्ड-झांसी में कार्यकाल के दौरान डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि को अन्य कार्यों में व्यय करने, अस्थाई अग्रदाय खोलने, बिना प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के निविदा गठन की कार्यवाही करने, क्रिटिकल गैप्स योजना से जनपद के 09 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में इन्वर्टर/बैट्री/यू0पी0एस0 स्थापना हेतु कोटेशन वाहन किराये तथा डीजल मद में व्यय धनराशि आदि में की गयी वित्तीय अनियमितताओं के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-135/2017/1047/92-2-2017-23जांच/2017 दिनांक 04.08.2017 द्वारा श्री विजय कुमार दुबे, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-झांसी के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-विन्ध्यांचल को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र दिनांक 03.11.2017 द्वारा श्री दूबे के विरूद्ध निर्गत आरोप पत्र जांच अधिकारी/ अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल-विन्ध्यांचल को प्रेषित करते हुये नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण कर आख्या निर्धारित समयावधि में शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। जांच अधिकारी के पत्र दिनांक 26.05.2018 द्वारा जांच आख्या में शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या मे प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 05.07.2018 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री विजय कुमार दुबे, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता से अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 09.01.2019 के द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी श्री विजय कुमार दुबे, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-झांसी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर दिनांकित 30.01.2018, जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना दिनांकित 26.05.2018 में प्रमाणित पाये गये सभी आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन तथा अपचारी अधिकारी के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा शासकीय क्षति के संबंध में प्राप्त की गयी, जो निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पत्र दिनांकित 11.03.2019 द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी। निदेशक एवं मुख्य अभियंता द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त श्री दुबे को दोषी पाते हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-200/2019/2884/92-2-2017-23जांच/2017 दिनांक 27.12.2019 द्वारा **परिनिन्दा का दण्ड** देकर अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी। उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री दुबे ने अपने पत्र दिनांक 27.04.2022 द्वारा प्रत्यावेदन शासन को उपलब्ध कराया।

4- श्री दुबे के उक्त प्रत्यावेदन दिनांक 27.04.2022 के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि उनके द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 27.04.2022 में लगभग उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उन्होने जांच अधिकारी को दिये गये स्पष्टीकरण व शासन को पूर्व में उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन दिनांकित 09.01.2019 में किया था। श्री दुबे द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन दिनांकित 27.04.2022 में ऐसा कोई नवीन तथ्य सामग्री या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस पर विचार किया जाना आवश्यक हो और उनके विरूद्ध दण्डादेश दिनांकित 27.12.2019 पारित करने के पूर्व विधि की ऐसी कोई तात्विक त्रुटि हो गयी हो जिसका प्रभाव मामले/दण्डादेश की प्रकृति को परिवर्तित करता हो जिसके आधार पर दण्डादेश दिनांकित 27.12.2019 का पुनर्विलोकन आवश्यक है। अतः श्री दुबे के प्रत्यावेदन दिनांकित 27.04.2022 पर उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-14 के अनुसार शासन द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 27.12.2019 पर पुनर्विलोकन का अवसर नही पाया गया।

5- अतएव श्री विजय कुमार दुबे तत्कालीन अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-झांसी सम्प्रति प्रखण्ड-सहारनपुर के प्रत्यावेदन दिनांक 27.04.2022 में नवीन तथ्यों का अभाव एवं बलहीनता के आधार पर उक्त प्रत्यावेदन निरस्त करते हुये एतद्द्वारा अस्वीकृत/निस्तारित किया जाता है।

श्री राज्यपाल के आदेश से

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-19(1)153प्र0स0/92-2-2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- श्री विजय कुमार दुबे तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-झॉसी सम्प्रति प्रखण्ड-सहारनपुर-द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।